राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : संस्था/राजप/सामा./प.26/2024/70 **दिनांक : 11/03/2024**

समस्त संयुक्त निदेशक जोन– /
चिकित्सा अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषयः– चिकित्सा कर्मियों को उनके पदस्थापन स्थान से अन्यत्र स्थान पर किये गये कार्यसम्पादन/प्रतिनियुक्ति आदेश के संबंध में ।

सदर्भः– मुख्य सचिव कार्यालय का पीएलएस पोर्टल नम्बर 3348 दिनांक 01.03.2024 एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर का पत्र दिनांक 09.03.2024 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा कार्मिकों को उनके पदस्थापन स्थान से अन्यत्र स्थान पर कार्यसम्पादन/प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। इस संबंध में आदेश दिनांक 18.02.2022 के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्मिकों को उनके पदस्थापन स्थान से अन्यत्र स्थान पर किये गये कार्यसम्पादन/प्रतिनियुक्ति को समाप्त किया गया है।

अतः वर्तमान में यदि किसी चिकित्सा कर्मी को उनके मूल पदस्थापन स्थान से कार्यसम्पादन/प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र स्थान पर लगाया गया है तो इस संबंध में कार्यसम्पादन/प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये कार्मिकों की सूची के साथ–साथ आदेश जारी करने वाले अधिकारियों की सूचना एवं ऐसे आदेश किसकी अनुमति से जारी किये गये हैं के संबंध में 03 दिवस में निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : संस्था/राजप/सामा./प.26/2024/70 **दिनांक : 11/03/2024**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम मुख्यालय।
6. निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक समस्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
9. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) मुख्यालय।
10. नोडल अधिकारी सीएमआईएस एवं आरपीजी।
11. समस्त संयुक्त निदेशक निदेशालय मुख्यालय।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।